S.S.T. no. 41/ 2017

03.05.2018

वाद पुकारा गया। अभियुक्त महेश कुमार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित। शेष अभियुक्तगण श्रीमती आशा वशिष्ठ, शिवानी उर्फ चन्द्रिका वशिष्ठ, ललित उर्फ लालेश वशिष्ठ का हाजिरी मांफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, आज के लिए स्वीकृत। अभियुक्त बल्देव उर्फ मोहित व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है।

प्रार्थनापत्र 24ब तथाउसके समर्थन में दाखिल शपथपत्र पर सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभियुक्त मोहित महेश वशिष्ठ का हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2016 का अंक–पत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार मोहित की जन्मतिथि 19.09.2002 है। मोहित का आधार कार्ड भी दाखिल किया गया है। उक्त आधार कार्ड में भी मोहित की जन्मतिथि 19.09.2002 अंकित है।

अंक पत्र पर दर्शित जन्मतिथि की सत्यता के सत्यापन हेतु राजकीय इण्टर कॉलेज, एटा के प्रधानाचार्य को छात्र पंजिका के साथ न्यायालय में आहूत किया गया। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ0 राकेश कुमार छात्र पंजिका एवं स्थानांतरण प्रमाणपत्र के साथ न्यायालय में उपस्थित आये, उनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा जारी सारिणीयन पंजिका का उद्धरण दाखिल किया गया जो पत्रावली में अभियुक्त द्वारा दाखिल अंकपत्र के अनुरूप है तथा स्थानांतरण प्रमाणपत्र की छाया प्रति भी दाखिल की गयी है जिसमें मोहित की जन्मतिथि 19.09.2002 दर्ज है। उक्त संख्या '2002' के आखिरी '2'` ओवर–राईटिंग है। इसलिए जिस स्थानांतरण प्रमाणपत्र के आधार पपर इस विद्यालय में मोहित को दाखिला दिया गया था, वह स्थानांतरण प्रमाणपत्र भी तलब किया गया, जिसे लेकर विद्यालय के लिपिक श्री विकास कुमार न्यायालय में उपस्थित आये। उक्त प्रमाण पत्र प्राथमिक विद्यालय, सूरतपुर मॉफी, एटा द्वारा जारी किया गया है। उक्त प्रमाणपत्र में भी दि0 19.09.2002 की तिथि अंकित है। उक्त विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाणपत्र की भी छाया प्रति पत्रावली में दाखिल की गयी है जिसके अनुसार मोहित की जन्मतिथि 19.09.2002 है।

इस प्रकार विद्यालय द्वारा जारी प्रमाणपत्र की सत्यता एवं मौलिकता असंदिग्ध है तथा उक्त प्रमाणपत्र, आधार कार्ड से भी मेल खाता है।

इस प्रकार मोहित की जन्मतिथि 19.09.2002 सिद्ध होती है।

घटना दिनांक 30.03.2017 की कही जाती है। इस प्रकार घटना की तिथि पर मोहित की आयु 14वर्ष, 06 माह, 11 दिन थी, जो कि स्पष्टतः घटना की तिथि पर अवयस्क था। अतः मोहित महेश वशिष्ठ पुत्र श्री महेश चन्द्र वशिष्ठ को किशोर अपचारी घोषित किया जाता है। अभियुक्त मोहित वशिष्ठ की पत्रावली, प्रस्तुत पत्रावली से पृथक करके किशोर न्याय बोर्ड अविलम्ब भेजी जाय। प्रस्तुत पत्रावली दिनांक 17.05.2018 को वास्ते सृजित करने आरोप पेश हो।

विशेष न्यायाधीश(एस.सी.एस.टी.ऐक्ट),
एटा
03.05.2018